No.2/29/91-Estt. Pay II
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel & Training

New Delhi, the 20th June 2006

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Deputation of Central Government Employees to ex-cadre posts under Central/State Governments and on Foreign Service to Central/State PSUs/Autonomous Bodies.

Reference is invited to this Department's OM of even number dated 5th January 1994 which lays down the guidelines relating to deputation of Central Government Employees to ex-cadre posts under Central/State Governments and on Foreign Service to Central/State PSUs/Autonomous Bodies.

Para 8.8 of this OM lays down that if during the period of deputation, on account of pro-forma promotion in the parent cadre under the Next Below Rule, the employee becomes entitled to a scale of pay higher than the scale of pay attached to the ex-cadre post, he may be allowed to complete the normal tenure of deputation, subject to the provisions laid down in Para 8.7 but no further extension of the period of deputation should be allowed in such cases.

The proposal for incorporating a provision for making the officers on deputation eligible for the benefit of pro-forma promotion if it becomes due to them while they are in the extended period of deputation, has been under consideration of the Government. It has now been decided that if an officer becomes due for pro-forma promotion in his parent cadre while in the extended period of deputation, he may be allowed the benefit of pro-forma promotion and complete the extended tenure already sanctioned but may not be given any further extension in the deputation period.

Accordingly, Para 8.8 of OM dated 5.1.94 is amended to read as under:

"8.8. If during the period of deputation, on account of pro-forma promotion in the parent cadre under the Next Below Rule, the employee becomes entitled to a scale of pay higher than the scale of pay attached to the ex-cadre post, he may be allowed to complete the normal/extended tenure of deputation already sanctioned, subject to 8.7 above but no further extension of the period of deputation should be allowed in such cases."

In so far as the persons serving in the Indian Audit & Accounts Department are concerned, these orders are being issued after consultation with the Comptroller & Auditor General of India.

(Rita Mathur)
Deputy Secretary to the Government of India

To All Ministries/Department of the Government of India

संख्या-2/29/91-स्थापना (वेतन-II)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक: 20 जून, 2006

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों के अन्तर्गत संवर्ग बाह्य पदों और केन्द्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में बाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति ।

इस विभाग के दिनांक 5 जनवरी, 1994 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के अंतर्गत संवर्ग बाह्य पदों और केन्द्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में बाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति से संबंधित दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं ।

इस कार्यालय ज्ञापन के पैरा 8.8 में यह निर्धारित किया गया है कि यदि प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान, ठीक नीचे संबंधी नियम के अन्तर्गत मूल संवर्ग में प्रोफॉर्मा पदोन्नति के कारण, कर्मचारी संवर्ग बाह्य पद से जुड़े वेतनमान से उच्चतर वेतनमान का हकदार बन जाता है तो उसे पैरा 8.7 में निर्धारित प्रावधानों के अध्यधीन प्रतिनियुक्ति का सामान्य कार्यकाल पूरा कर लेने दिया जाए परंतु ऐसे मामलों में प्रतिनियुक्ति की अवधि का आगे कोई और विस्तार नहीं करने दिया जाना चाहिए ।

प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारियों को प्रोफॉर्मा पदोन्नति के लाभ हेतु यदि यह उन्हें बढ़ाई गई प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान देय हो जाए पात्र बनाए जाने के लिए एक प्रावधान समाविष्ट किए जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन रहा है। अब यह तय किया गया है कि यदि कोई अधिकारी बढ़ाई गई प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान अपने मूल संवर्ग में प्रोफॉर्मा पदोन्नति का हकदार बन जाता है तो उसे प्रोफॉर्मा पदोन्नति का लाभ लेने दिया जाए और पहले से संस्वीकृत बढ़ाया गया कार्यकाल पूरा कर लेने दिया जाए परंतु उसे प्रतिनियुक्ति की अवधि में आगे और कोई विस्तार नहीं दिया जाए।

तद्नूसार दिनांक 05.01.94 के कार्यालय ज्ञापन का पैरा 8.8 संशोधित किया जाता है जो निम्नानुसार पढ़ा जाए :

"8.8 यदि प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान, ठीक नीचे संबंधी नियम के अंतर्गत मूल संवर्ग में प्रोफॉर्मा पदोन्नति के कारण, कर्मचारी संवर्ग बाह्य पद से जुड़े वेतनमान से उच्चतर वेतनमान का हकदार बन जाता है तो उसे ऊपर पैरा 8.7 के अध्यधीन प्रतिनियुक्ति का सामान्य कार्यकाल /पहले से ही संस्वीकृत प्रतिनियुक्ति का बढ़ाया गया कार्यकाल पूरा कर लेने दिया जाए परंतु ऐसे मामलों में प्रतिनियुक्ति की अवधि का आगे कोई और विस्तार नहीं करने दिया जाना जाहिए।"

जहाँ तक भारतीय लेखा-परीक्षा एवं लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से परामर्श करके जारी किए जा रहे हैं।

रीता माथुर
(रीता माथुर)
उप-सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।